पत्रांक 1/147/नीलामी/08–09–स्मा0
भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
पटना अंचल, जे0 सी0 रोड

पटना, दिनांक 06 OCT 2021

निविदा–सह–नीलामी सूचना

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उप अंचल, कुम्हरार, जिला–पटना अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित स्थल बुलन्दीबाग के तालाब में मछली पालने/पकड़ने, घास की कटाई एवं उसकी साफ–सफाई हेतु दिनांक **01.11.2021 से 31.10.2023** (दो साल) की अवधि के लिए मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक उम्मीदवार बोली लगाने हेतु इस बावत नियम व शर्ते तथा निविदा प्रपत्र **500–(पॉच सौ रूपया) मात्र** का भुगतान कर (जो लौटाया नहीं जाएगा) संरक्षण सहायक का कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप अंचल, कुम्हरार, पटना से दिनांक **08.10.2021 से 25.10.2021** तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस कार्यालय के वेबसाइट **www.asipatnacircle.gov.in** द्वारा भी निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। वेबसाइट से निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की स्थिति में **रूपये 500/– मात्र** का डिमान्ड ड्राफ्ट (निविदा राशि) अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना, जिसका भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पटना के नाम देय हो, जमा करना होगा।सभी निविदा प्रपत्र दिनांक **26.10.2021 को 10:30 बजे पूर्वाह्न** तक अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, जे0 सी0 रोड, अण्टा घाट, पटना के कार्यालय में जमा करना होगा जो उसी दिन **11:00 बजे पूर्वाह्न** में अधीक्षण पुरातत्वविद् के कार्यालय कक्ष में उपस्थित निविदा दाताओं/बोली लगाने वाले के समक्ष खोली जाएगी और बोली लगायी जाएगी।

प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ **5,000/–रूपये (पॉच हजार रूपये) मात्र** का डिमान्ड ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी के रूप में) अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना, जिसका भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पटना के नाम देय हो, जमा करना होगा। बिना अर्नेस्ट मनी की निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा–सह–नीलामी में उच्चतम राशि बोलने वाले सफल व्यक्ति को प्रस्तावित राशि का कम से कम **50 प्रतिशत तत्काल** तथा **शेष राशि** एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। भुगतान निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करने पर उनकी निविदा रद्द कर दी जाएगी। सफल निविदा प्राप्त कर्ता को अर्नेस्ट मनी की राशि, निविदा की अवधि **31.10.2023** के बाद उप अंचल प्रभारी द्वारा निर्गत **'No Damage Certificate' जमा करने** के उपरान्त लौटायी जाएगी। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी बेवसाइट **www.asipatnacircle.gov.in** पर प्राप्त कर सकते हैं।

अधीक्षण पुरातत्वविद् ने जनहित में, निविदा काल के दौरान आवश्यकता पड़ने पर, किसी भी शर्त को परिवर्तन करने का अधिकार तथा किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

डी. भट्टाचार्या 6/10/21
अधीक्षण पुरातत्वविद्